



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या-703 /रा0नि0आ0-3/1379/2024 दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विज्ञप्ति

संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिका परिषद, किच्छा एवं नगर पालिका परिषद, सिरौलीकलां जनपद ऊधमसिंहनगर के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक उक्त निकायों/निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा करता हूँ।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या-703 /रा0नि0आ0-3/1379/2024 तददिनांक।(मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), ऊधमसिंहनगर।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।